उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या- 1/2025/414/ सैतालीस-का-1-2025-13(09)/1998
लखनऊ:: दिनांक 06 मई, 2025

दिनांक 06 मई, 2025 को प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
5- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
7- सचिव, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश ।
8- सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
9- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।
10- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक 06 मई, 2025 की तिथि में असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए उक्त की 1500 मुद्रित प्रतियाँ कृपया कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-1/2025/414/ सैंतालीस-का-1-2025-13(9)/1998

लखनऊ :: 06 मई,2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)(द्वितीय संशोधन) नियमावली,2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 (सात) का संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-7 के विद्यमान उपनियम-(सात) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ-2 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
7(सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था:	7(सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी यदि नियम-7(तीन) के अनुसार, आरोप-पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने के लिए प्रस्तावित साक्षियों के नाम उल्लिखित हो तो आरोप पत्र में उल्लिखित साक्षियों को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात्, जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

परन्तु यह कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेगें, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि आरोपित सरकारी सेवक स्वयं अपने लिखित विवरण के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य के कोई प्रमाणन की वांछना नहीं करता है, तो जाँच अधिकारी, इस तथ्य को लिखित रूप से अभिलिखित करेगा और मौखिक साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर दिए बिना, केवल आरोपित सरकारी सेवक के लिखित विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही जाँच अधिकारी जांच की कार्यवाही समाप्त करेगा।

आज्ञा से,

एम० देवराज
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No 414 /47-ka-1-2025/13(9)/1998 dated , 06 May 2025

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

KARMIK ANUBHAG-1

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 1/2025/414 /47-ka-1-2025/13(9)/1998

Dated : Lucknow, 06 May, 2025

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending The Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1- (1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Government Servant (Discipline And Appeal) (Second Amendment) Rules, 2025

(2) They shall come into force at once.

Amendment Of Rule 7(VII)

In the Uttar Pradesh Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1999, for existing sub-rule (vii) of rule-7 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

column-1 Existing Rule	column-2 Rule as hereby substituted
7(vii) Where the charged Government Servant denies the charges, the Inquiry Officer shall proceed to call the witnesses proposed in the charge sheet and record their oral evidence in the presence of the charged Government Servant who shall be given an opportunity to cross-examine such witnesses. After recording the aforesaid evidences, the Inquiry Officer shall call for and record the oral evidence which the charged Government Servant desired in his written statement to be produced in his defence.	7(vii) Where the charged Government Servant denies the charges, only if according to sub rule 7(iii) there is the name of the witnesses proposed to prove the documentary evidence is mentioned in the charge sheet, the Inquiry Officer shall proceed to call the witnesses mentioned in the charge sheet and record their oral evidence in the presence of the charged Government servant who shall be given opportunity of cross-examination of such witnesses. After recording the aforesaid evidences, the Inquiry Officer shall call and record the oral evidence which the charged Government Servant desired in his written statement to be produced in his defence.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Provided that the Inquiry Officer may, for reasons to be recorded in writing, refuse to call a witness.

Provided that the Inquiry Officer may, for reasons to be recorded in writing, refuse to call a witness.

Provided further that if the charged Government servant himself, through his written statement, does not desire for any certification of the documentary evidence as well as oral evidence, the inquiry officer shall record this fact in writing and without giving any opportunity to oral cross-examination, only on the basis of the written statement of the charged Government Servant and documentary evidence the inquiry officer shall conclude the inquiry proceeding.

by Order,

(M. Devaraj)

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।